

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प014(1)राज-6/05 पार्ट/18

जयपुर, दिनांक 5-8-13

— अधिसूचना—

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम सं0 15 वर्ष 1956) की धारा 260 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के नियम-1 के द्वितीय परन्तुक में वर्णित भूमियों जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित भूमि को छोड़कर समस्त किस्म की भूमि का आवंटन राजकीय विभागों को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उक्त 1963 के नियमों के नियम 4 में वर्णित आवंटन प्राधिकारी द्वारा उक्त नियमों के नियम 2 में निर्धारित आवंटित होने वाला अधिकतम क्षेत्र का दिनांक 31.03.2014 तक आवंटन किया जा सकेगा

राज्यपाल की आज्ञा से.

(लेखराज तोसावड़ा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ।
  2. विशिष्ट सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय ।
  3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
  4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग ।
  5. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग ।
  6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
  7. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
  8. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर / निदेशक राजस्थान राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर ।
- उपरोक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।

सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।

केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र के विशेषांक

5/8/13 में प्रकाशनार्थ ।

उप शासन सचिव ।

(लेखराज तोसावड़ा)  
संयुक्त शासन सचिव